दबाव नियंत्रण में हैं, अनेक उपाय किए गए हैं। किए गए कुछ उपाय थे :—

(i) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुली बाजार बिक्री के माध्यम से सार्वजनिक भंडारों से खाद्यान्नों की निर्मुक्ति।

(ii) चीनी के आयात को शून्य शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस पर रखना।

(iii) चीनी का शून्य शुल्क पर आयात करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(iv) वर्ष 1994-95 के दौरान खुले सामान्य लाइसेंस के तहत पामोलिन तेल के आयात की अनुमति देना।

(v) वर्ष 1994-95 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने के लिए 1.07 लाख टन पामोलिन तेल का आयात करना।

(vi) मार्च, 1995 से 30 प्रतिशत के घटे शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत प्रमुख खाद्य तेलों के आयात की अनुमति देना।

(vii) शून्य शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रूई के आयात की अनुमति देना।

(viii) तदर्थ सरकारी हुंडियों के निर्गम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से केन्द्र सरकार के ऋण लेने पर नियंत्रण लगाना तथा प्रारक्षित नकदी अनुपात में वृद्धि करने एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करने सहित कई उपायों के जरिए मौद्रिक अभिवृद्धि को नियंत्रित करना।

(ix) वर्ष 1995-96 के बजट में उत्पाद एवं सीमा शुल्कों में इस तरह की कमी करना जिससे मुद्रास्फीति घट सके।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा गुजरात को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई धनराशि

6882. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा गुजरात को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी धनराशि प्रदान की गई है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जिलावार कितने किसान लाभान्वित हुए हैं ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान जिलावार कितनी ऋण राशि की वसूली की गई ; और

(घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा गुजरात के लिए तैयार की गई अन्य योजनाओं का, इस प्रयोजनार्थ आबंटित की गई धनराशि सहित ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) योजनाबद्ध ऋणों के अन्तर्गत विभिन्न एजेंसियों को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में योजनाबद्ध ऋणों के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा किए गए प्रयोजनावार संवितरणों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि इन योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या से संबंधित ब्यौरे उनके पास उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि उधारकर्ता-वार खाते नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त करने वाले वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा रखे जाते हैं। इसी प्रकार, उधारकर्ता-वार वसूली के ब्यौरे भी सहभागी बैंकों द्वारा रखे जाते हैं, इसलिए उसका ब्यौरा नाबार्ड के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि,

गुजरात राज्य के संदर्भ में, योजनाबद्ध रूप से ऋण देने की योजना के तहत, पिछले 3 वर्षों के दौरान नाबार्ड को बैंकों द्वारा चुकाई गई पुनर्वित्त की राशि निम्नलिखित थी :—

(करोड रुपये)

वर्ष	राशि
1992–93	91.00
1993–94	107.28
1994–95 (31–1–95 तक)	80.36

(घ) नाबार्ड योजनाएं तैयार नहीं करता है। अलबत्ता, 1995–96 के लिए गुजरात राज्य के वास्ते विभिन्न योजनाओं (योजनाबद्ध ऋणों) के अन्तर्गत वित्तपोषक बैंकों के लिए पुनर्वित्त का आबंटन निम्नानुसार है :—

(लाख रुपये)

प्रयोजन	आबंटन
लघु सिंचाई	1500
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	1000
भूमि विकास	80
कृषि यंत्रीकरण	7500
शुष्क भूमि कृषि	60
वृक्षारोपण	150
डेरी विकास	1200
मत्स्यन	290
भंडारण एवं मार्केट यार्ड	600
मुर्गीपालन	110
आईआरडीपी	3000
गैर कृषि क्षेत्र	4200
कृषि संसाधन	400
वानिकी	60
कुल :	20150

विवरण

वर्ष 1992–93, 1993–94 और 1994–95 के दौरान गुजरात में योजनाबद्ध ऋण के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा विभिन्न एजेंसियों को संवितरित उद्देश्यवार पुनर्वित्त ।

(लाख रु०)

प्रयोजन	संवितरण		
	1992–93	1993–94	1994–95
1	2	3	4
लघु सिंचाई	2119	2465	1371
राष्ट्रीय बीज परियोजना– III	—	—	83
व्यापक राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम	—	—	27
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	—	—	438
मि विकास	57	116	54

1	2	3	4
कृषि यंत्रीकरण	3989	5503	837
शुष्क भूमि कृषि	—	—	58
वृक्षारोपण	37	82	43
मुर्गीपालन	46	96	79
भेड़/बकरी/सूअर पालन	—	—	44
मत्स्य पालन	103	100	347
डेयरी विकास	834	1342	901
भंडारण और मार्केट यार्ड	439	947	974
वानिकी	53	97	86
गोबर गैस प्लांट	5	—	—
कृषि क्षेत्र	2021	3501	3437
अन्य	48	2	—
आई.आर.डी.पी.	2931	2627	2212
योग :	12682	16878	18525

Categorisation of branches of Regional Rural Banks

6883. SHRI E. BALANANDAN: WiU the Minister of FINANCE be plea:ed to state:

(a) whether the Equation Committee on Regional Rural Banks suggested categorisation of branches as per Government order in this regard for Public Sector Banks in tune with National Industrial Tribunal Award;

(b) whether scale-I officers working in scale-II of above bran:hes are not supposed to get officiating allowance as per Government order issued to RRBs;

(c) whether it is a fact that even/ after categorisation of branches, Rural Banks have not allowed officiating allowance to such officers violating Government Orders; and

(d) what action has been taken by Government against such defaults?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) Yes, Sir.

(b to (d) The factual position is being ascertained and wiU be laid on the Table] of the House to the extent available.

देश में बचत-राशि

6884. चौधरी हरमोहन सिंह :
श्री ईश दत्त यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय द्वारा बचतों को बढ़ाने के लिये किये गये सभी प्रयास सफल नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान बचतों को बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ; और